निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 20/2019 तारीख दायरा 19.03.2019

उनवान

1. चतुर्भूज उम्र 60 वर्ष पुत्र बरमाणीलाल मीणा
2. सूरजमल उम्र 58 वर्ष पुत्र बरमाणीलाल मीणा
3. रामबिलास उम्र 56 वर्ष पुत्र बरमाणीलाल मीणा जाति मीणा

निवासीगण ग्राम मंडीता तहसील सांगोद जिला कोटा राज0। — वादी

—:: बनाम ::—

1. बरमाणीलाल मीणा पुत्र श्री भूरा जी जाति मीणा निवासी ग्राम मंडीता तहसील सांगोद
2. रामगोपाल मीणा पुत्र श्री मोडूलाल निवासी 78/1020 कबीर आश्रम की गली रंगबाडी पोस्ट ओफिस आइल कोलोनी 324005
3. मृतक राजेन्द्र मीणा पुत्र श्री मोडूलाल जरिये कायम मुकामान—
   3/1 जोनू कुमार आयु 28 वर्ष पुत्र स्व. राजेन्द्र
   3/2 बबलू आयु 22 वर्ष पुत्र स्व. राजेन्द्र
   3/3 मोहनीबाई बेवा राजेन्द्र जाति मीणा निवासीगण ग्राम मंडीता तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी नयानोहरा कोटा
4. मेहताब बाई पुत्री श्री मोडूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम मंडीता तहसील सांगोद हाल निवासी महादेव मंदिर के पास वार्ड नं.8 ग्राम राजनगर पोस्ट नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा — प्रतिवादीगण —

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:30:30 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर0टी0एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

उपस्थित :–

श्री नरेन्द्र कुमार विजय (वकील वादी) दिनॉक :– 08.12.2020

श्री मनीष विजय (वकील प्रतिवादी)

––:: निर्णय ::––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा प्रतिवादी सं.1 वादीगण का पिता है। प्रतिवादी सं. 2ता 4 वादीगण के काकाजी के पुत्र पुत्री है। माल ग्राम मंडीता तहसील सांगोद में खाता सं. 71 के खसरा न. 466 की 1.60 है. ख.न. 522 की 0.38 है. ख.न. 523 की 0.03 है. ख.न. 524 की 0.04 है. कुल 4 किता की कुल 2.05 है. आराजी एवं खाता संख्या 72 के ख.न. 464 की 2.40 है. ख.न. 465 की 0.01 है. (गे.मु.चा.) व ख.न. 466/644 की 1.59 है. कुल 3 किता की कुल 4.00 है. आराजी स्थित है जो कि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है। जिसमें उक्त आराजी में स्थित प्रतिवादी सं.1 के हिस्से 2/3 की आराजी में वादीगण को कानूनन प्रतिवादी सं.1 के साथ 'बाई बर्थ राइट' होने से बराबर का हक प्राप्त है तथा वादीगण प्रत्येक प्रतिवादी के साथ 1/2–1/4 हिस्सा आराजी के खातेदारी की घोषणा करवाने के विधिक प्रावधानानुसार पूर्ण अधिकारी हैं।

उक्त वर्णित आराजी में खाता सं. 71 की कुल 2.05 है. आराजी में वादीगण के पिता के साथ ही उनके भाई मृत मोडूलाल के पुत्र पुत्री 1/3 हिस्सा आराजी के खातेदार हैं तथा वे 1/3 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादीगण के काकाजी से उनके जीवन काल में भी खाता सं. 72 के ख.न. 464,465,466/644 की कुल आराजी 4.00 है. में उनके निहित 1/3 हिस्से की आराजी वादी सं.1 व 3 के नाम दर्ज हैं तथा उसे पृथक से वादी सं.1 व 3 प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादीगण के हक की आराजी पर वादीगण खातेदार होकर स्वयं के हिस्से की आराजी में विकास कार्य करवाना चाहते हैं। सभी के वयस्क हो चुके हैं इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक होने से वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं.1 से हक की आराजी का खातेदार बनाकर नाम दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया गया जिस पर प्रतिवादी सं.1 द्वारा सहमति प्रदान कर दी तथा हक की आराजी भी प्रदान कर दी। तत्पश्चात वादीगण द्वारा इस विषय में पटवारी हलका से बात

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

की तो उन्होने कहा कि वादीगण की पैतृक सम्पत्ति होने से उसमें पिता के साथ बराबर का हक प्राप्त है किन्तु यह कार्य अदालत उप जिला कलेक्टर सांगोद में दावा दायर कर ही हो सकता है। तब वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं.1 से दावा की कार्यवाही के लिए कहा किन्तु उन्होने मना कर दिया। इसलिए वादीगण के लिए उक्त वाद सम्माननीय न्यायालय में दायर करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद में वर्णित आराजियात में खाता सं. 71 के ख.न. 466 की 1.60 है. ख.न. 522 की 0.38 है. ख.न. 523 की 0.03 है. ख.न. 524 की 0.04 है. कुल 4 किता की कुल 2.05 है. आराजी में 1/3 हिस्सा के प्रतिवादी 2ता4 खातेदार घोषित होकर उसे विभाजन में पृथक से प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा 2/3 हिस्सा आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी सं.1 प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्से के खातेदार घोषित होर आराजी व खाता पृथक करवाने के विधिक रूप से पूर्ण अधिकारी हैं। इसी प्रकार खाता सं. 72 के ख.न. 464,465,466/644 की कुल आराजी 4.00 है. आराजी में वादी सं.1 1/3 हिस्सा, वादी सं.3 1/3 हिस्सा, वादी सं.2 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं.1 1/6 हिस्सा आराजी के खातेदार घोषित होने व भूमि का खाता पृथक करवाने के पूर्ण वैद्य अधिकारी हैं। उक्त आराजी को बहमी बंटवारा से वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्वयं के विधि अनुसार हिस्सा आराजी पर काश्त करने लगे हैं परन्तु उपरोक्त अनुसार खातेदारी घोषित होकर खाता व लगान राज पृथक–पृथक होना एवं मौके व हिस्से अनुसार विभाजन होना आवश्यक होने सं वादीगण के लिए उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय में दायर करना आवश्यक हो गया है। जिसमे वादीगण द्वारा उनकी शादीशुदा बहिनों प्रेमबाई पत्नि जमुनालाल निवासी विनोदकलां, गीता पत्नि बृजराज निवासी देगन्या व सुशीला पत्नि लालचन्द निवासी कोटडी तहसील सांगोद को विधिक प्रावधानानुसार उन्हें बाई बर्थ राइट नहीं होने व जाति मीणा एस.टी. में होने से उस पर हिन्दु उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होने से उनके पिता के जीवन में दावा दायरी का व पैतृक भूमि में हक प्राप्त करने का अधिकार नहीं होने से उन्हें उक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिन्हें पक्षकार बनाया जाना कानूनन आवश्यक नहीं है।

अतः उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय में सादर निवेदन है कि दावा वादीगण स्वीकार कर इस आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि

ग्राम मंडीता तहसील सांगोद में खाता सं. 71 के खसरा न. 466 की 1.60 है. ख.न. 522 की 0.38 है. ख.न. 523 की 0.03 है. ख.न. 524 की 0.04 है. कुल 4 किता की कुल 2.05 है. आराजी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

वादीगण तथा प्रतिवादी सं.1 प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। खाता संख्या 72 के ख.न. 464 की 2.40 है. ख.न. 465 की 0.01 है. (गे.मु.चा.) व ख.न. 466/644 की 1.59 है. कुल 3 किता की कुल 4.00 है. आराजी में वादी सं.1 को 1/3 हिस्से का, वादी सं.3 को 1/3 हिस्से का , वादी सं.2 को 1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं.1 को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। उक्त आराजियात का मौका एवं हिस्से अनुसार विभाजन कर खाता व राज लगान पृथक–पृथक दर्ज किया जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण 1ता4 की ओर से वकील श्री मनीष विजय द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। इकबाली जवाब दावे में प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद पत्र में वर्णित सभी तथ्यों को स्वीकार कर वाद पत्र स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। वकील वादी द्वारा उक्त आराजी की नई जमाबंदी प्रस्तुत की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादी का वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली के अवलोकन से मैनें यह पाया कि पत्रावली मे जो इकबाली जवाब, दस्तावेजात व पक्षकारों के अभिवचनों पर सूक्ष्मतम अवलोकल करने के उपरान्त दावा वादी स्वीकार करना उचित समझती हूँ। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि –

ग्राम मंडीता तहसील सांगोद में खाता सं. 70 के खसरा न. 466 की 1.60 है. ख.न. 522 की 0.38 है. ख.न. 523 की 0.03 है. ख.न. 524 की 0.04 है. कुल 4 किता की कुल 2.05 है. आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादी सं.1 प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। खाता संख्या 71 के ख.न. 464 की 2.40 है. ख.न. 465 की 0.01 है. (गे.मु.चा.) व ख.न. 466/644 की 1.59 है. कुल 3 किता की कुल 4.00 है. आराजी में वादी सं.1 चतुर्भूज को 1/3 हिस्से का, वादी सं.3 रामबिलास को 1/3 हिस्से का , वादी सं.2 सूरजमल को 1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं.1 बरमाणीलाल मीणा को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। उक्त आराजियात का मौका एवं हिस्से अनुसार विभाजन कर खाता व राज लगान पृथक–पृथक दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

किया जावें। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रकरण में वर्णित आराजी पर रहन होने की स्थिति प्रथम चार्ज बैंक का होने के कारण रहन यथावत रहेगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष के स्वयं के हिस्से तक रहन है तो निर्णय के पश्चात रहन उक्त व्यक्ति पर यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

निर्णय आज दिनांक 08.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:30:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 20/2019 तारीख दायरा 19.03.2019

उनवान

1. चतुर्भूज उम्र 60 वर्ष पुत्र बरमाणीलाल मीणा
2. सूरजमल उम्र 58 वर्ष पुत्र बरमाणीलाल मीणा
3. रामबिलास उम्र 56 वर्ष पुत्र बरमाणीलाल मीणा जाति मीणा

निवासीगण ग्राम मंडीता तहसील सांगोद जिला कोटा राज0। – वादी

–:: बनाम ::–

1. बरमाणीलाल मीणा पुत्र श्री भूरा जी जाति मीणा निवासी ग्राम मंडीता तहसील सांगोद
2. रामगोपाल मीणा पुत्र श्री मोडूलाल निवासी 78/1020 कबीर आश्रम की गली रंगबाडी पोस्ट ओफिस आइल कोलोनी 324005
3. मृतक राजेन्द्र मीणा पुत्र श्री मोडूलाल जरिये कायम मुकामान–
   3/1 जोनू कुमार आयु 28 वर्ष पुत्र स्व. राजेन्द्र
   3/2 बबलू आयु 22 वर्ष पुत्र स्व. राजेन्द्र
   3/3 मोहनीबाई बेवा राजेन्द्र जाति मीणा निवासीगण ग्राम मंडीता तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी नयानोहरा कोटा
4. मेहताब बाई पुत्री श्री मोडूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम मंडीता तहसील सांगोद हाल निवासी महादेव मंदिर के पास वार्ड नं.8 ग्राम राजनगर पोस्ट नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा – प्रतिवादीगण –

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:30:30 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

उपस्थित :–

श्री नरेन्द्र कुमार विजय (वकील वादी)
श्री मनीष विजय (वकील प्रतिवादी)

दिनॉक :– 08.12.2020

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री नरेन्द्र कुमार विजय मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

ग्राम मंडीता तहसील सांगोद में खाता सं. 70 के खसरा न. 466 की 1.60 है. ख.न. 522 की 0.38 है. ख.न. 523 की 0.03 है. ख.न. 524 की 0.04 है. कुल 4 किता की कुल 2.05 है. आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादी सं.1 प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। खाता संख्या 71 के ख.न. 464 की 2.40 है. ख.न. 465 की 0.01 है. (गे.मु.चा.) व ख.न. 466/644 की 1.59 है. कुल 3 किता की कुल 4.00 है. आराजी में वादी सं.1 चतुर्भूज को 1/3 हिस्से का, वादी सं.3 रामबिलास को 1/3 हिस्से का , वादी सं.2 सूरजमल को 1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं.1 बरमाणीलाल मीणा को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। उक्त आराजियात का मौका एवं हिस्से अनुसार विभाजन कर खाता व राज लगान पृथक–पृथक दर्ज किया जावें। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रकरण में वर्णित आराजी पर रहन होने की स्थिति प्रथम चार्ज बैंक का होने के कारण रहन यथावत रहेगा। यदि किसी व्यक्ति विशेष के स्वयं के हिस्से तक रहन है तो निर्णय के पश्चात रहन उक्त व्यक्ति पर यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:30:30 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद